

30-9-14

संख्या-D-680/38-2-2014-2(91)डी/2008

प्रेषक,

अरुण सिंघल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।

विभागाध्यक्ष अरुण सिंघल

ग्राम्य विकास अन्वय-2

लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर 2014

अरुण सिंघल (प्र)  
DC (श्रीमती हिमाली)

विषय:-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के ऐसे कार्मिक जो दिनांक 30-09-2014 को सेवानिवृत्त हो रहे थे, को अंग्रिम आदेशों तक सेवानिवृत्त न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के ऐसे कार्मिक जो दिनांक 30-09-2014 को अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को अंग्रिम आदेशों तक सेवानिवृत्त न किया जाय।

30/09/14

भवदीय  
(अरुण सिंघल)  
प्रमुख सचिव।E-5  
अरुण सिंघल  
30/09/14  
उपायुक्तAMCDD'S / अरुण सिंघल  
30.9.14  
J.C. (am)